

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(2) सामान्य/न्याय/2018

जयपुर, दिनांक 19.02.2019

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
 2. समस्त विभागाध्यक्ष
 3. समस्त जिला कलक्टर
(जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)
-


विषय:—लाईट्स सॉफ्टवेयर में न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अद्यतन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में निर्णीत न्यायिक प्रकरणों में जहां क्रियान्वयन (Implementation) वांछनीय है उसका इन्द्राज/अद्यतन करने के लिए लाईट्स सॉफ्टवेयर में (Case Management=> Case Decision (Format 4) में Impl. Order No. एवं Implementation Date) यूनिट(विभागाध्यक्ष)/कार्यालय स्तर पर आवश्यक संशोधन कर, दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय


शासन संयुक्त सचिव